गर्भ का चिकित्सीय समापन
गर्भपात व लिंग जाँच
गोद लेने का कानून

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

गर्भ का चिकित्सीय समापन

प्रकाशक :

'न्याय सदन'

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971

आशा तीन बच्चों की माँ है। आठ हफ्ते हुए उसे गर्भ फिर ठहरा है। माता जी ने आशा को कहा, 'बहू, जाओ चिकित्सा केन्द्र से डॉक्टरनी जी को दिखा आओ।' आशा अगले दिन चिकित्सा

आशा को फिर गर्भ ठहरा है।

केन्द्र गयी। डॉक्टरनी जी ने कहा, 'आओ आशा। सब ठीक तो है ना?' आशा ने सिर झुका लिया। वह बोली, 'दीदी आपके कहने के बावजूद मुझे फिर गर्भ ठहर गया है।' डॉक्टरनी जी बोली, 'आशा! तो क्या तुमने परिवार नियोजन

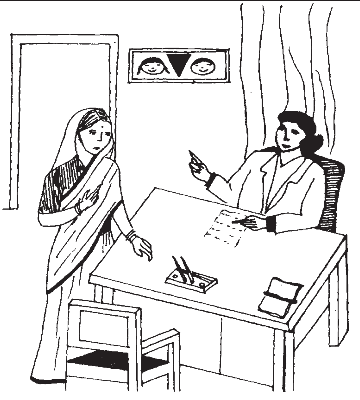

आशा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है।

के साधन अपनाये ही नहीं ?' आशा बोली, 'जी अपनाये थे पर असफल रहे।' डॉक्टरनी बोली, 'आशा, यह तो ठीक नहीं हुआ। तीन बच्चों को जन्म दे चुकी हो। तुम्हारे शरीर में अब कितनी ताकत रही है ? तीन बच्चे संभालना भी कोई सरल काम नहीं। फिर बच्चे के स्वास्थ्य का सोचो।

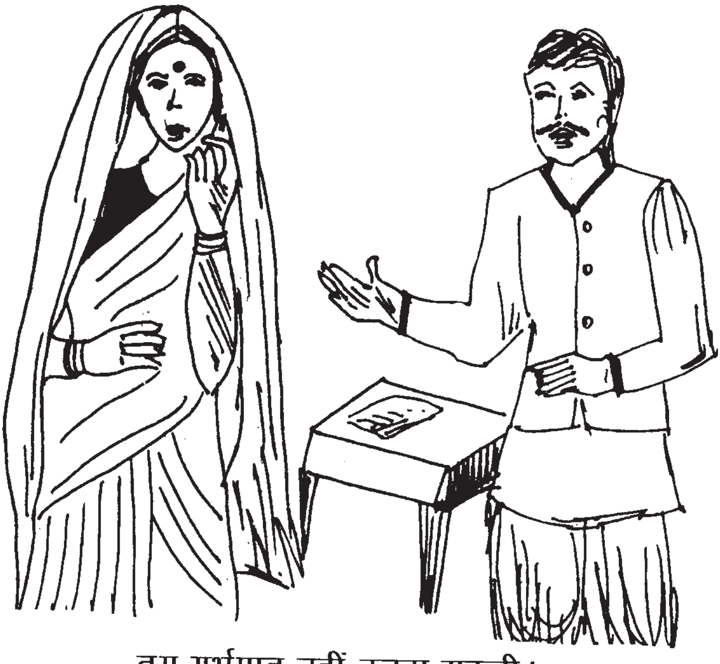
तुम गर्भपात नहीं करवा सकती।

अधिक सन्तानें होने से न माँ स्वस्थ रहती है न बच्चे।' आशा ने कहा, 'यह बात तो ठीक है। मेरी सबसे छोटी बच्ची हमेशा बीमार रहती है। मैं भी बहुत कमजोरी महसूस करने लगी हूँ। मैं क्या

करूँ?' डॉक्टरनी ने आशा की पूरी जांच की। उन्हें पता चला कि आशा के खून में 'हिमोग्लोबिन' बहुत कम

गर्भपात कानूनी ढंग से किया जा सकता है।

जबरदस्ती गर्भपात करवाना कानूनी अपराध है।

था। उसका शरीर कमजोर और शिथिल पड़ गया था। वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं थी। तीन बच्चों को पालना ही मुश्किल हो रहा है। चौथ बच्चा आ जायेगा तो क्या होगा, यह सोचकर ही आशा घबरा उठती है।

डॉक्टरनी ने कहा, 'आशा, मेरी राय में तो तुम्हें इस बच्चे को गिरा देना चाहिए। तुम कल अपने पति के साथ मेरे पास आना। मैं उसे भी समझा दूँगी।'

गर्भपात सरकारी या सरकार द्वारा मान्य अस्पताल में ही हो सकता है।

आशा ने घर जाकर अपने पति सोहन से सारी बात कही। सोहन ने कहा, 'क्या बात करती हो ? हम सबको जेल भिजवाओगी? बच्चे को जान–बूझकर गिरवाने वाले को सजा और जुर्माना हो सकता है। मैं डॉक्टरनी से जाकर पूछता हूँ कि यह सलाह कैसे दी ?'

अगले दिन आशा और सोहन चिकित्सा केन्द्र में डॉक्टरनी के पास पहुँचे। सोहन अभी भी गुस्से में था। वह बोला, 'डॉक्टरनी जी! आप पढ़ी–लिखी होकर बच्चा गिराने की सलाह कैसे दे रही हैं ? मुझे इसके कानून के बारे में सब मालूम है। मेरे दोस्त रामू ने अपनी पत्नी लता का गर्भ दाई को बुलवाकर गिरवा दिया था। उसके ससुर ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। रामू को और दाई को सजा और जुर्माना हुआ था।

डॉक्टरनी बोली : 'हाँ वह किस्सा मैंने भी सुना था। *लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उन्हें सजा क्यों हुई थी, क्योंकि वह बच्चा गैरकानूनी ढंग से गिराया था।'* सोहन ने कहा, 'वह कैसे' ? डॉक्टरनी जी बोली, 'रामू ने लता का बच्चा जबरदस्ती गिरवाया था। वह *बच्चा गिरवाना नहीं चाहती थी। दूसरा, उनके पास कोई कानूनी कारण नहीं था जिसके लिये वे गर्भ गिरवा सकते थे।*

तीसरा, रामू ने दाई को बुलाकर लता का गर्भ गिरवाया। यह काम तो केवल रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर या डॉक्टरनी ही कर सकते हैं। यानि कोई ऐसा डॉक्टर या ऐसी डॉक्टरनी, जिसे सरकार की तरफ से इलाज करने की अनुमति हो। इसके लिए सरकारी चिकित्सा केन्द्र में ही जाना पड़ता है। दाईयों, नर्सों या छोटे–मोटे घरेलु चिकित्सकों से बच्चा गिरवाना अपराध है। इसलिए दाई को भी सजा हुई थी।

दाईयों और नर्सों से गर्भपात नहीं करवाया जा सकता।

आशा ने पूछा, 'तो कानूनी तौर से बच्चा कब गिरा सकते हैं ?' डॉक्टरनी जी बोली, *बहुत–सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जिनमें बच्चा गिराना कानून की नजर में अपराध नहीं होता।*

यह बातें गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 नामक कानून में लिखी हैं। *कानून के मुताबिक ऐसी स्थितियों में बच्चा गिराना ठीक होगा :*

❖ *यदि बच्चे को रखने में माँ के जीवन को खतरा हो,*

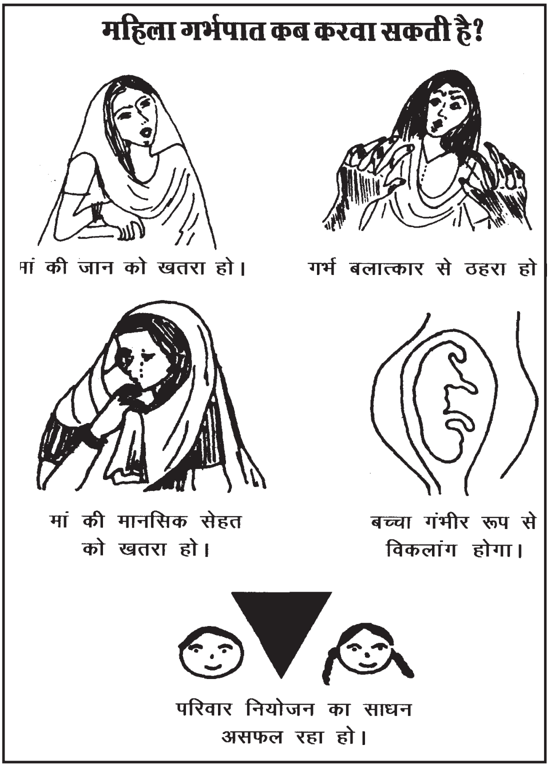

- *माँ के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को काफी खतरा हो*
- *गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो,*
- *बच्चा गंभीर रूप से विकलांग पैदा हो सकता हो,*
- *स्त्री पुरूष द्वारा अपनाया गया कोई परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो,*
- *स्त्री की अवस्था या वातावरण देखते हुए उसके स्वास्थ्य को खतरा हो।*

ऐसा कोई कारण रामू और लता के पास नहीं था।

अब आशा और सोहन की चिन्ता दूर हो गयी। उनके कन्धों से जैसे बहुत बड़ा भार उतर गया हो। सोहन बोला : 'तो डॉक्टरनी जी, जन्म से पहले कभी भी बच्चा गिराया जा सकता है?'

डॉक्टरनी जी बोली : 'नहीं, नहीं! *अभी जो मैंने बातें बताईं, अगर उनमें से कोई बात उपस्थित हो, तो भी, बच्चा 12 सप्ताह से पहले ही गिराया जा सकता है।*

हाँ, 12 सप्ताह से पहले बच्चा गिराने की सलाह एक डॉक्टर या एक डॉक्टरनी दे सकती है। लेकिन अगर समय बढ़ गया हो तो दो डॉक्टरों की सलाह होनी जरूरी है। फिर भी 20 सप्ताह से ऊपर समय नहीं बीतना चाहिए।'

आशा ने पूछा, 'क्या गर्भपात किसी भी अस्पताल में करवा सकते हैं ?'

डॉक्टरनी ने कहा, '*नहीं, गर्भपात केवल सरकारी अस्पताल में करवाना चाहिए।'*

गर्भपात कब करवा सकते हैं ?

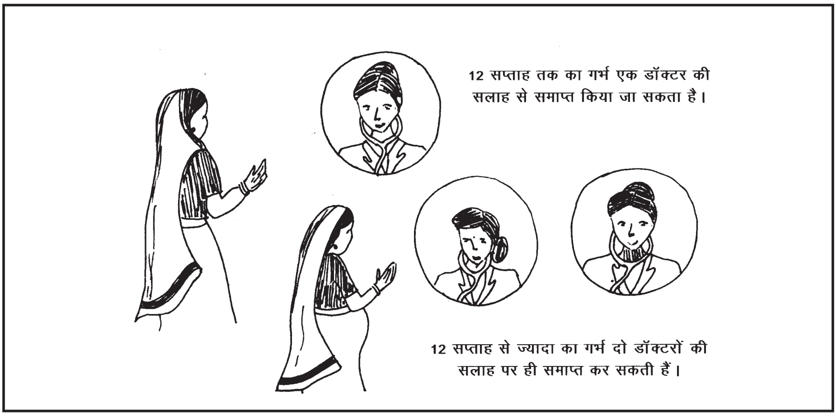

परन्तु किसी निजी चिकित्सा केन्द्र में करवा रहे हैं तो ध्यान रहे कि वहाँ 'फार्म बी' लगा हुआ हो। 'फार्म बी' वह पत्र है जिसमें सरकार ने उस चिकित्सा केन्द्र को अल्ट्रासाऊंड या गर्भपात करने की मान्यता दी है।

आशा और उसके पति ने डिस्पेन्सरी के बाहर जाकर सलाह की। फिर डॉक्टरनी जी ने उन्हें गर्भ समाप्त करने के लिए दो दिन बाद की तारीख दी।

आशा के पति ने भी परिवार नियोजन का ऑपरेशन करवाने का फैसला किया। अब उनके और उनके परिवार का भविष्य कुछ अच्छा दिखने लगा।

फार्म 'बी'

अनुमति पत्र

निम्नलिखित स्थान को सरकार गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 के 34) की अनुमति देता है।

स्थान का नाम	पता और अन्य विवरण	चालक का नाम

स्थान

दिनांक

के सरकार को

जिस निजी चिकित्सा केन्द्र में फार्म 'बी' है वहीं गर्भपात कराना चाहिए।

गर्भधारण पूर्व तथा जन्म पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम

लिंग जाँच रोकने का कानून

जब अमिता गर्भवती हो गई तो उसका पति श्याम उसे डॉक्टर के पास ले गया। अमिता को लगा कि उसका पति बच्चे के स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। परन्तु जब डॉक्टर ने एक बच्ची के चित्र की ओर संकेत किया तो अमिता समझ गई कि यह सब बच्चे का लिंग जानने के लिए किया गया था। यानि पता लगाना कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। उसने श्याम से कहा यह गैर–कानूनी है।

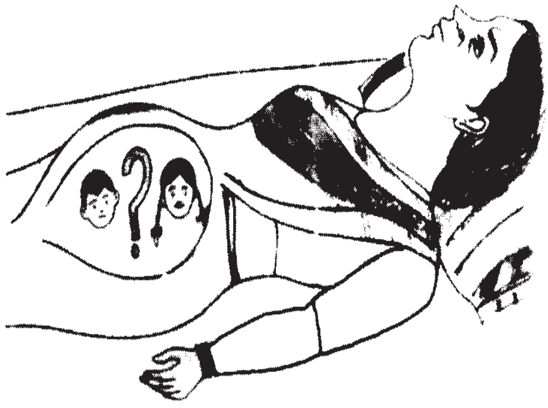

लड़का होगा या लड़की जानने के लिए तकनीक का उपयोग रोकने का कानून।

हमारे समाज में हमेशा लड़के और लड़कियों में भेदभाव चला आ रहा है। लड़कियाँ दुर्व्यवहार, भेदभाव और शोषण की शिकार रही हैं। लड़कियों की ओर इस नजरिये का नतीजा यह था कि लड़कियों को अक्सर

जन्म होते ही मार दिया जाता था। जहर देना, गला घोंटना यह सब रास्ते अपनाये जाते थे।

लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में बच्चे के जन्म से पूर्व ही अल्ट्रासाऊन्ड या सोनोग्राफी जैसी तकनीक का गलत उपयोग करके यह जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चा लड़का है या लड़की। यह पता चलते ही कि गर्भ में लड़की पल रही है उसका जन्म होने से पूर्व ही गर्भपात करवाकर उसे खत्म कर दिया जाता है। इसके इतने भयंकर परिणाम हो गये हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या लगातार कम होने लगी है। इसलिये इस तकनीक का गलत उपयोग रोकने के लिये यह कानून बनाया गया : ***गर्भधारण पूर्व और प्रसुति पूर्व निदान, तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994।***

यह कानून कहता है :

- *किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक तकनीक, जो बच्चे के जन्म के पहले किसी प्रकार की विकलांगता इत्यादि का पता चलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हो, वह केवल उसी प्रयोग में लाई जा सकती है। उनका किसी दूसरे काम के लिए प्रयोग में लाना गैर–कानूनी है।*
- *फिर भी, ऐसी तकनीक का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि*
    - महिला की उम्र 35 साल से ऊपर हो,

❖ उसके दो या अधिक प्राकृतिक गर्भपात हो चुके हो

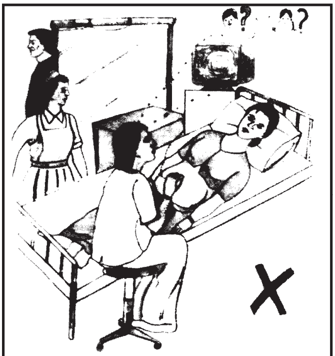
लड़का होगा या लड़की इसकी जाँच करना अपराध है।

❖ महिला हानिकारक दवाईयों, रेडिएशन इत्यादि से प्रभावित हो

❖ महिला या उसके पति के परिवारों में मानसिक या शारीरिक विकलांगता का इतिहास हो

❖ ऊपर दी गई परिस्थितियों में भी अल्ट्रासाऊण्ड करने वाले व्यक्ति को

❖ परीक्षण (टेस्ट) का पूरा ब्यौरा रखना होगा।

लड़का होगा या लड़की यह शब्दों या इशारों से बताना अपराध है।

❖ ऐसा न करने पर उसे इस कानून में दण्ड दिया जा सकता है।

❖ टेस्ट करने वाले को उसके संभावित खराब असर के बारे में समझाना होगा।

❖ टेस्ट के लिए महिला की लिखित अनुमति लेनी

होगी और उसे इस अनुमति की कॉपी देनी होगी।

कोई भी व्यक्ति चाहे वह उसका पति या अन्य रिश्तेदार क्यों न हो, किसी महिला को गैरकानूनी टेस्ट के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। यदि करें, तो उन्हें इस कानून में सजा हो सकती है।

लड़का होगा या लड़की इसकी जाँच के लिये विज्ञापन देना अपराध है।

❖ गर्भ की लिंग जाँच इस कानून में दण्डनीय है। किसी भी व्यक्ति द्वारा शब्दों, इशारों या अन्य तरीके से गर्भ का लिंग बताना दण्डनीय है। कोई भी व्यक्ति जो गर्भ की लिंग जाँच या चयन के लिए इन तकनीकों की सहायता लेता है, इस कानून में दण्ड पा सकता है। अगर किसी औरत को जाँच के लिए मजबूर किया गया हो तो उस औरत को सजा नहीं दी जाएगी।

लड़का होगा या लड़की इसकी जाँच करवाने के लिये जबरदस्ती करना या उकसाना अपराध है।

इसकी सजा है 3 साल तक की जेल और 50,000/– रूपए तक का जुर्माना। दोबारा अपराध करने से 5 साल तक की जेल और

1,00,000/– रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

कोई भी डॉक्टर या तकनीकी सहायक जो ऐसा गैर–कानूनी टेस्ट करता है उसे 3 साल तक की जेल और 10,000/– रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

यदि अपराध दोबारा किया जाए तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है और 50,000/– रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

लड़का होगा या लड़की इसकी जाँच करवाने के लिये जबरदस्ती करने या उकसाने के जुर्म में सजा हो सकती है।

❖ लिंग जाँच या लिंग चयन के लिए किसी प्रकार का इश्तिहार देना दण्डनीय है। ऐसा करने के लिए दण्ड है 3 साल तक की जेल और 10,000/– रूपए तक का जुर्माना।

लिंग जाँच करवाने वाले पंजीकृत डायग्नोस्टिक केन्द्र या क्लीनिक का क्या होगा ?

ऐसे केन्द्रों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) रद्द कर दिया जाएगा और उसे सील कर दिया जाएगा। यानि वह अब वहाँ अपना कारोबार नहीं चला सकते।

यदि आप किसी ऐसे क्लीनिक, डॉक्टर या व्यक्ति को जानते हैं जो लिंग जाँच या चयन कराते हों तो उनकी शिकायत अपने क्षेत्र के 'समुचित प्राधिकरण' को करें। ये आमतौर पर जिला के कलेक्टर जैसे कोई अधिकारी होते हैं।

रजिस्ट्रीकृत केन्द्र में लड़का होगा या लड़की इसकी जाँच होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है।

गोद लेने का कानून

गोद लेने का कानून

सावित्री और श्रीनाथ की शादी हुए दस साल हुए हैं। दोनों हँसी–खुशी से रहते हैं। उनको बस एक ही दुःख है – सावित्री की गोद सूनी है। श्रीनाथ कहता है – ''भगवान की मर्जी। बाकी तो कुछ कमी नहीं है। लेकिन जब वे किसी और के बच्चे को देखते हैं तो मन में टीस उठती है – काश हमारी भी एक संतान होती।''

श्रीनाथ की माँ कहने लगी, ''बेटा दूसरी शादी कर लो।'' श्रीनाथ नाराज हो गया। बोला, ''यह गलत काम मैं नहीं करूँगा। भगवान ने हमें बच्चा नहीं दिया, सावित्री क्या करे ?'' रोज घर में बहस होने लगी। धीरे–धीरे बात शांता दीदी के कानों में पहुँची। दीदी बालबाड़ी सेविका हैं। उन्होंने श्रीनाथ को कहा, ''जिले के अस्पताल में जाकर जाँच करवा लो अपनी और सावित्री की। वे कुछ दवा या आपरेशन बता देंगे।'' सब जाँच करने के बाद डाक्टरनी बोली, ''श्रीनाथ सावित्री में कोई दोष नहीं, तुम्हारे में कमी है। तुम्हारे वीर्य में शुक्रजंतु बहुत कम हैं, इसलिए सावित्री को गर्भ नहीं रहता। लेकिन चिन्ता नहीं करो। दुनिया में कितने ही बच्चे हैं, जिनके माँ–बाप नहीं। गोद ले लो कोई अनाथ बालक।''

चुपचाप सावित्री और श्रीनाथ घर लौटे। सावित्री ने सास से कहा, ''अम्मा जी। डॉक्टरनी कहती हैं, हमे बच्चा नहीं होगा। कहती थी बच्चा गोद ले लो।''

बहुत सोच–समझकर तीनों ने तय किया कि बच्चा गोद लेना चाहिए। लेकिन कैसे? शांता दीदी से पूछा। वह बोली, ''मेरे चाचा वकील के यहाँ मुनीम हैं। उनसे पूछते हैं। वह वकील साहब से हमारी बात करवा देंगे।'' वकील साहब नहीं, वकील साहिबा थीं। वे बोलीं, ''बहुत खुशी की बात है, आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं। *श्रीनाथ बच्चा गोद ले सकता है। सावित्री उस बच्चे की माँ बनेगी। लेकिन दत्तक कानून के मुताबिक होना चाहिये, नहीं तो वह अवैध होगा।''*

श्रीनाथ बोला, ''वकील साहिबा, दत्तक, यानि गोद लेने का कानून क्या है ?''

वकील साहिबा बोली, ''इस कानून का नाम है, **हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956।'**

गोद लेने के लिये कुछ बातें जरूरी हैं। *एक हिन्दू पुरूष गोद ले सकता है अगर :*

❖ *स्वस्थचित हो यानि पागल न हो और उसकी उम्र कम से कम 21 साल हो। यदि वह शादीशुदा है, तो उसकी पत्नी की सहमति या मंजूरी आवश्यक है।*

❖ *यदि पत्नी पागल है, या उसने सन्यास लिया है, या वह हिन्दू नहीं है, तो पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं है।*

सावित्री बोली, ''मेरी ननद विधवा है। उन्हें भी बच्चा नहीं,

तो वह क्या करेगी ?''

वकील साहिबा ने कहा –

- *विधवा, तलाकशुदा या जिसने शादी की ही नहीं, ऐसी हिन्दू औरत भी बच्चा गोद ले सकती है।*
- *गोद लेने वाली औरत स्वस्थचित हो, यानि पागल न हो। उस की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिये।*
- *यदि वह शादीशुदा है तो उसका पति ही बच्चा गोद ले सकता है, वह स्वयं नहीं।*
- *यदि पति पागल है, हिन्दू नहीं रहा है, सन्यासी बन चुका है तो महिला को बच्चा गोद लेने की अनुमति है।*

हिन्दू विधवा भी गोद ले सकती है।

हिन्दू अविवाहित स्त्री गोद ले सकती है।

श्रीनाथ ने पूछा, ''दत्तक कौन दे सकता है ?''

''बच्चों के पिता गोद दे सकते हैं। लेकिन गोद देने के लिये माता की अनुमति आवश्यक है। बच्चे के पिता नहीं हैं तो उसकी माता गोद दे सकती है। यदि पति पागल है, या उसने सन्यास लिया है तो इस स्थिति में भी माता गोद दे सकती है। और दोनों नही हैं तो उसके संरक्षक।''

संरक्षक केवल कोर्ट की अनुमति से ही बच्चा गोद दे सकता है। संरक्षक से गोद लेते समय कोर्ट यह देखेगी कि यह दत्तक बच्चे की भलाई के लिये है या नहीं।

श्रीनाथ ने कहा, ''लेकिन हमारी नजर में कोई ऐसे लोग नहीं जो अपना बच्चा गोद देना चाहेंगे। न ही आस पास कोई ऐसा

बच्चा है, जिसके माँ–बाप नहीं हैं। हम क्या करें ?''

वकील साहिबा बोली : *''अनाथालय वाले कई बच्चों के संरक्षक होते हैं।* उनके पास ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। माँ–बाप वाले बच्चे को गोद लेने से अनाथ बच्चा गोद लेना ज्यादा अच्छा है।''

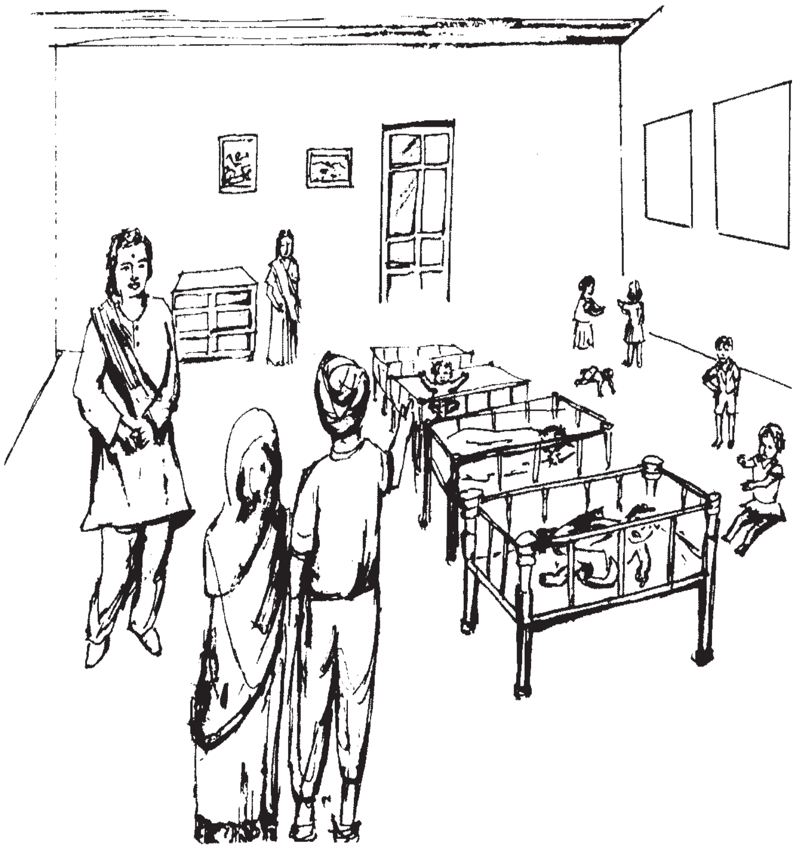

अनाथालय से बच्चा गोद ले सकते हैं।

बच्चा गोद देने से पहले आपके घर की स्थिति देखी जायेगी।

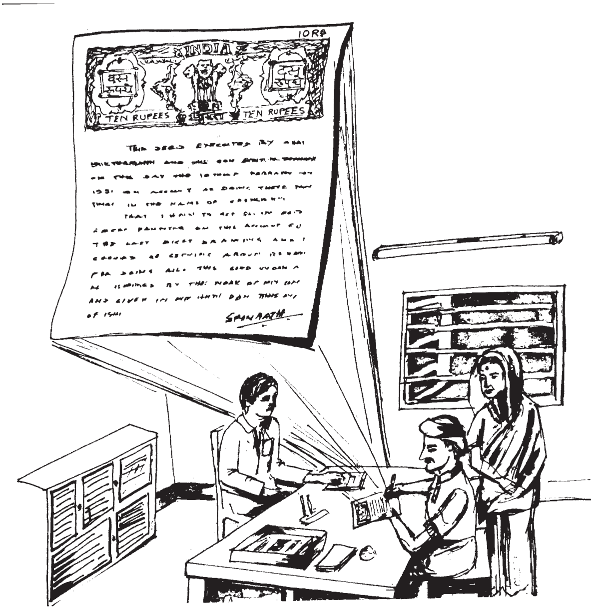

गोद लेने के कागज़ात बनाये जाएँगे।

श्रीनाथ ने पूछा, ''अनाथालय में जाकर क्या करेंगे ?''

वकील साहिबा बोलीं : *''अनाथालय में जाकर आप अर्जी दीजिए। वहाँ से कल्याण कार्यकर्ता आपके घर आयेंगे। वह आपका घर, परिवार, आपका स्वभाव, आपकी आमदनी, सब कुछ देखेंगे।* फिर वे आपको बच्चे दिखाएँगे। आप अपनी पसंद का बच्चा या बच्ची गोद ले सकते हैं। वे बच्चा आपको गोद दे देंगे। *अनाथालय से बच्चा गोद लेने के लिए अदालत जाना जरूरी है।''*

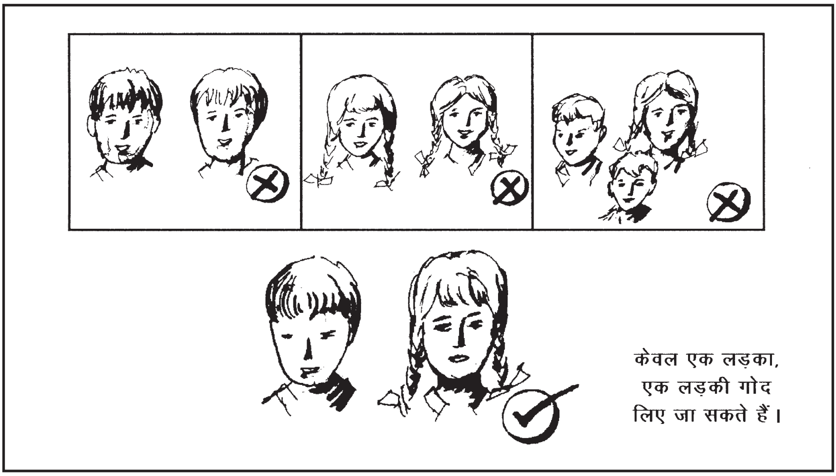

अगर बच्चा माता–पिता से गोद ले रहें हो, तो उसे किसी भी रस्म से लिया जा सकता है। हाँ, दत्तक देने और दत्तक लेने का इरादा साफ होना चाहिये। स्टाम्प पेपर पर भी लिखा–पढ़ी हो सकती है। इस दस्तावेल को पंजीकृत (रजिस्टर्ड) करवा लिया जाये तो बेहतर होगा। फिर दत्तक को कोई आसानी से नकार नहीं सकता।

सावित्री अब तक चुप थी। वह बोली, ''दीदी जी, मुझे बेटी की भी बहुत इच्छा है। एक बेटा हो, एक बेटी। क्या यह नहीं हो सकता ?''

''जरूर हो सकता है। पहले कोई एक ले लो फिर दूसरा भी ले लेना।''

श्रीनाथ बोला, ''क्या हम दो बेटे और एक बेटी ले सकते हैं?''

''नहीं। *ज्यादा से ज्यादा कोई एक बेटी और एक बेटा ले सकता है।* जिसके बेटियाँ हैं वह बेटा ले सकता है, जिसके बेटे ही हैं, वह बेटी ले सकता है, जिसके बेटा–बेटी दोनों हैं, वह बच्चा गोद नहीं ले सकता।''

आपका बेटा, पोता या पड़पोता हो और वह हिन्दू हो तो आप बेटा दत्तक यानि गोद नहीं ले सकते। यदि आपकी बेटी या पोती है और वह हिन्दू है तो आप बेटी गोद नहीं ले सकते।

''दीदी हम कैसा बच्चा गोद ले सकते हैं ?''

❖ *वह हिन्दू होना चाहिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो।*

❖ *उसे किसी ने पहले गोद न लिया हो।*

- *उसकी उम्र 15 साल से कम हो।*

- *उसकी शादी न हुई हो।*

- ***पुरूष अगर लड़की गोद लेता है तो उसकी और लड़की की उम्र में कम से कम 21 साल का अन्तर होना जरूरी है। इसी तरह अगर औरत लड़का गोद लेती है तो उन दोनों में भी कम से कम 21 साल का अन्तर होना चाहिये।***

सावित्री बोली, ''दीदी जी, दत्तक लेने से बच्चा क्या असली में हमारा हो जाता है ?''

''बिल्कुल। गोद लिया हुआ बच्चा उतना ही आपका होता है, जितना की माँ के पेट से जन्मा हुआ बच्चा। दोनों ही हमेशा–हमेशा के लिए आपके बच्चे हैं! आप उन्हें नकार नहीं सकते। दोनों ही आपका नाम लिखेंगे। *कुछ बातें जरूरी हैं, जैसे :–*

- यह बच्चा अपने जन्म के परिवार तथा दत्तक परिवार के किसी सदस्य से शादी नहीं कर सकेगा।

- जन्म के परिवार से उसे कोई जायदाद या दौलत मिली हो तो वह उसे दत्तक के बाद रख सकता है।

हाँ, जायदाद या दौलत के साथ उसे जन्म देने वाले माँ–बाप की

जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी।

- ❖ उसके गोद लिए जाने के पहले नये परिवार के लोगों को जो दौलत या जायदाद मिल चुकी थी, उस पर उनके अधिकार वैसे ही बने रहेंगे।

- ❖ गोद लेने वाले परिवार से गोद लिये गये बच्चे को बिल्कुल वैसे ही अधिकार मिलेंगे जैसे जन्म लिये बच्चे को मिलते हैं।

श्रीनाथ ने पूछा, ''दीदीजी, बच्चा गोद लेने में खर्चा कितना आयेगा ? अनाथालय कुछ रूपये भी माँगेगा ?''

दीदी जी हँसकर बोलीं, ''अरे नहीं। बच्चा खरीदा–बेचा थोड़े ही जाता है। *ऐसे पैसे लेना अपराध है। एक बच्चे को माँ–बाप मिलते हैं। खुशी की बात है।* कोर्ट में जाकर कागज भरना पड़ता है उसकी फीस लगती है।''

''नमस्ते दीदी जी'' कह कर श्रीनाथ और सावित्री चल पड़े। अब उनके भी घर में बच्चा आने की उम्मीद थी।

श्रीनाथ और सावित्री ने गाँव जाकर हिन्दू दत्तक कानून के बारे में सबको बताया। उनके मोहल्ले में अनीसा और नूर मुहम्मद रहते थे। उन्हें भी बच्चा नहीं था। कुछ आगे मेरी तथा जॉन रहते थे। वे भी निःसंतान थे। दोनों जोड़ों ने सोचा, चलो हम भी बच्चा

गोद लें। वह श्रीनाथ सावित्री के साथ जिले के अनाथालय में गये। वहाँ की संचालिका ने सबके नाम पूछे। फिर बोली, *''केवल हिन्दू लोग बच्चा गोद ले सकते हैं। आप लोगों को हम बच्चा गोद नहीं दे सकते। बच्चा लेने वाले माँ–बाप और देने वाले सभी हिन्दू होने चाहिए।''* अनीसा की आँखों में आँसू आ गये। जॉन भी मायूस हो गया। नूर और मेरी को भी बुरा लगा।

''तो क्या हम ईसाई और मुसलमान लोग गोद लिये बच्चे के माँ–बाप नहीं बन सकते ? हमें भी एक बेटा, एक बेटी चाहिए।''

संचालिका बोलीं, एक रास्ता तो है। आप *बच्चे के संरक्षक बन सकते हैं। उसके लिए भी कानून है जिसे कहते हैं :* **संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890।** इसमें कुछ बातें गोद लेने से भिन्न हैं। वे हैं :–

- *वह बच्ची या बच्चा आपका नाम नहीं लेंगे। उनका पुराना नाम ही रहेगा।*
- *बच्चा 21 साल का हो जाने पर आजाद हो जाएगा।*
- *वैसे भी अगर कोर्ट की निगरानी में आप अच्छे पालक नहीं हैं तो कोर्ट आपका पालकत्व रद्द कर देगा। यदि बच्चा आपको तंग करता है तो आप भी उसे कोर्ट को वापिस दे सकते हैं।*

- *उस बच्चे को या बच्ची को आपकी संतान नहीं माना जायेगा। आप उसके माँ–बाप नहीं केवल पालक होंगे।*

मेरी को गुस्सा आ गया। वह बोली ''यह भी कोई बात है – बच्चा बड़े होकर पूछेगा, आप कौन हो तो हम क्या कहेंगे – हम तुम्हारे माँ–बाप नहीं हैं ? वह बच्चे क्या सोचेंगे ? हम क्यों नहीं गोद ले सकते ?'' नूर ने कहा, ''ठीक कहती है मेरी। हम भी गोद ही लेंगे।''

संचालिका मुस्कराई। बोली, ''अभी तो केवल गोद लेने का

हिन्दू कानून ही है। हमें सरकार से माँग करनी होगी कि आप भारतीय दत्तक अधिनियम बनाईये। हम किसी भी धर्म के हों, बच्चा गोद ले पायें। बच्चा किसी भी धर्म का हो, उसे माँ बाप पाने का अधिकार हो।'' दोनों जोड़ों ने सोचा कि यह तो अन्याय है। फिर भी, सारा जीवन अकेले बिताने से तो अच्छा होगा किसी बच्चे के पालक बन जाएँ। उन्होंने भी कोर्ट में एक अर्जी दी और दो अनाथ बच्चों को घर ले गये।

कोर्ट के ज़रिये बच्चे के संरक्षक भी बन सकते हैं।

गोद लेना

गोद लेने के तीन कानून हैं :

- हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956,
- संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890
- किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम 2000

गोद लेने के लिए कहाँ संपर्क करें :

- कारा (सेन्ट्रल अडॉपशन रिसोर्स एजेन्सी), स्थानीय कोऑर्डिनेटिंग एजेन्सी, शिशु गृह या बाल कल्याण समिति।
- गोद लेने के लिए ऐसी संस्थाओं के पास न जाएँ जो पंजीकृत नहीं हैं।

गोद लेने की प्रक्रिया

- गोद लेने के इच्छुक माता–पिता को किसी दत्तक संस्था के पास पंजीकृत (रजिस्टर) होना होगा।
- वे इच्छुक माता–पिता का गृह निरीक्षण (होम स्टडी) करेंगे।
- इस गृह–निरीक्षण के समय इच्छुक माता–पिता को भी

उनकी शंकाएँ इत्यादि दूर करने के लिए समाजसेवी द्वारा सलाह दी जाएगी।

- यह देखना आवश्यक होता है कि इच्छुक माता–पिता में दत्तक बच्चा पालने की क्षमता है या नहीं।

- इसके बाद इच्छुक माता–पिता अपनी वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के दस्तावेज दत्तक संस्था को देंगे।

- फिर उन्हें बच्चा दिखाया जाता है। संस्था कोशिश करती है कि माता–पिता द्वारा बताए गए लक्षणों से मिलता–जुलता बच्चा दिया जाए।

- ऐसा करने पर दत्तक संस्था कोर्ट में दत्तक के लिए अर्जी देती है।

स्रोत : कारा (सेन्ट्रल एडोपशन रिसोर्स अथोरिटी)
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार

बच्चा गोद लेने के लिये इन केन्द्रों से सम्पर्क करें

आन्ध्रा प्रदेश

गिल्ड ऑफ सर्विस, सेवा समाजम, बालिका बिलयम, 10–3–561/3, विजया नगर कॉलोनी, हैदराबाद –500457 फोन : 91–040–23344418/23394418

इण्डियन काऊंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर हैदराबाद, कैंसर हॉस्पिटल कम्पाऊंड के अन्दर, रेड हिल्स, हैदराबाद–560004, फोन : 91–040– 23329587 (ऑ) 23391620, 23394358 (घ) फैक्स : 3391620

मिशन ऑफ दी नेशनस कन्याका, डी. नम्बर 3–19–6, प्लॉट नम्बर 18, कन्याकापू नगर, काकिन्डा–533003 फोन : 91–884–274409 फैक्स नम्बर : 266838

सेन्ट टेरिसाज टैन्डर लविंग केयर होम (सेन्ट टेरिसाज हॉस्पिटल सोसाइटी), सेन्ट टेरिसाल हॉस्पिटल, सानाटा नगर, हैदराबाद – 500018 फोन : 91–040–23704411, 23817127 फैक्स नम्बर : 040–23710029 ईमेलः tmaria@hd2.dot.net.in

जॉन इब्राहिम मैमोरियल बिथानी होम, तान्दूर, पी.जी. नम्बर 3, रंगा रेड्डी, जिला आन्ध्र प्रदेश फोन : 91–40– 27662511/27662552

दिल्ली

दिल्ली काऊंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, सिविल लाईंस कुदसिया गार्डन यमुना मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली – 110054 फोन : 91–11–23968907 फैक्स नम्बर : 91–11–23944655 ईमेल : palna@bol.net.in

चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया शिशु सनगोपन गृह, सेन्ट माइकलस चर्च कम्पाऊंड हॉस्पिटल रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली – 110014 फोन :

91–11–24376806, 24327122
ईमेल : admin@cnissg.org

वेलफेयर होम फॉर चिल्ड्रन, 1–बी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सरिता विहार, नई दिल्ली–110044 फोन : 91–11– 26954150/26974702

सेवा भारती (मैत्री छाया), 100196/ए सेवा कुंज, झण्डेवालान, नई दिल्ली – 110056
फोनः 91–11–22160230/27534662

आश्रम ओरफेज (होप फाउण्डेशन) ए–21, विवेक विहार, फेस–2, दिल्ली –110095 फोन : 91–11–22160230/ 22166941
ईमेल : mendy_andrews@ho

एस.आ.एस. चिल्ड्रनस बिलेजिस् ऑफ इण्डिया, ए–7, निजामुद्दीन (पश्चिम) नई दिल्ली–110013
फोन : 91–11– 24357299,
फैक्सः91–11–24357298 ईमेल : soscvi@vsnl.com

होली क्रास सोशल सर्विसेस, नम्बर 34–35, डॉ0 मुखर्जी नगर (पश्चिम), दिल्ली–110009 फोन : 91–11–27418765, 27141736
फैक्स : 91– 11–27141736
ईमेलःhcssc@vsnl.com

मिशनरीज ऑफ चैरिटी, निर्मला शिशु भवन, 12, कमिश्नर लेन, दिल्ली – 110054,
फोन : 91–11–23950181
फैक्स : 91–11–23073453, 26151428
ईमेल : shandilyasanjay@
gumraosingh@hotmail.com

दिल्ली चिल्ड्रनस ऑफ दी वर्ल्ड (दिल्ली) सोसायटी, ए–55, वसन्त विहार, नई दिल्ली–110057
फोन : 91–11–26147546
फैक्स नम्बर : 26152389
ईमेल : cwd@vsnl.net

गोवा

गोआ कैरीटस गोआ, पैको पैट्रीआरकल एलटिनहो, पंजिम–403001 गोआ, फोन : 91–832–2226509/ 2223353 फैक्स : 0832 2220921 ईमेलःcaritas@caritasgoa.org
csjpgoa@gmail.com

मैत्रुछाया, धावली कावले, पोन्डा, पोन्डा–403401 फोन : 91–0832–2312152

गुजरात

श्री काथियावार निराश्रित बालाश्रम, लोधावन चौक, मालविया रोड, राजकोट–360002 फोन : 91–0281 –2222071 / 2231340 फैक्स नम्बरः 0281–2231340

महीपतराम रूपराम आश्रम, रायपुर गेट के सामने, अहमदाबाद–380022 फोन : 91–079–25454007 फैक्स नम्बर : 25453761

श्री कस्तूरबा स्त्री विकास गृह, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जामनगरम – 361008 फोन :91–0288–2751730 / 2751728

मैसर्स शिशुमंल ट्रस्ट, कलैक्टर के बंगले के पीछे, जूनागढ़, गुजरात – 50033 फोनः 079–26427541–42

मैसर्स मात्रा छाया ओरफेड सिस्टरस ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट एन्ने,नाविआद इन्दिरा नगर, वैशाली रोड, नाविआद

हरियाणा

हरियाणा स्टेट काऊंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, बाल विकास भवन 65डी, सैक्टर 16 डी, चण्डीगढ़ – 160016 फोन : 91–0172– 2770393 फैक्स : 91–0172– 2543453

कर्नाटक

शिशु मंदिर, 17 / 11, कैम्बरिज रोड, उलसूर, बैंगलोर–560008 फोन : 91–080–2576084 / 2572864 / 2576628 / 5300084 / 5547628

आश्रय, जवान्स क्वार्टर, बी.डी.ए.पार्क डबल रोड, इन्दिरा नगर, स्जेट–1, बैंगलोर–560038 फोन : 91–080– 25282811 / 25251928 / 25251929 / 25286195 फैक्स : 25286195 ईमेल : sanchild@bgl.vsnl.net

सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी होली ऐन्गलस कॉन्वैट, C/o स्टेला मोरिस कॉन्वैट, मालेश्वरम, बैंगलोर–

560003 फोन :91–080–27757235

मैसर्स कैनरा बैंक रिलीफ एण्ड वेलफेयर सोसायटी, 27 क्रास, बानाशंकरजी स्टेज, बैंगलोर – 560070 फोन :91–080–26634080 / 26430194 / 26713421 / 26718067

सुरबाला निलाया संघ रजि., 738, 13 क्रास, 7 ब्लॉक, जया नगर (पश्चिम), बैंगलोर–560082
फोन : 26638442

सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी सेन्ट जीरोसा कॉन्वैट, C/o सिस्टर्स ऑफ बोलवेनडेरे, एन्गलौर, मैंगलोर फोन :91–0824–2467192 फैक्स : 2467102ईमेलःsrmeera@bg1.vsnl.com

वात्सल्य चैरीटेबल ट्रस्ट, 246, 8 ई मेन, एच.बी.आर. बी.डी.ए. लेआउट, बैंगलोर–560043 फोन : 91–080–25452749 / 25457360
फैक्स : 25452671
ईमेलः vathsalya88@rediff.com

मैसर्स रीच आउट, 22 चिन्नास्वामी रोड, तासकर टाऊन, बैंगलोर – 560051 फोन :91–080–25471311

मैसर्स चाइल्ड फाउन्डेशन कर्नाटक, S 'O' शागनेशी रोड, लैंग फोर्ड गार्डनस, बैंगलोर–560025 फोन : 91–080–22210701
ईमेल : sbnh@giasbol.net.in

केरल

इन्फैन्ट मैरिज गर्ल्स होम, वेइतरी साऊथ वेएण्ड डिस्ट्रिक, केरल – 673570 फोनः 91–0493–2655236

सेन्ट जोसफस चिल्ड्रन होम, कुमननोर, चेरपुनकल पी.ओ. डिस्ट्रिक कोटायम, फोनः91–0482–2255087

दीनासेवनसभा स्नेहानिकेतन, स्पेशल सेन्टर, पट्टूवान, कन्नौर डिस्ट्रिक, केरल फोनः 0498–2202346 फैक्सः 0484–2348201
ईमेल : greets@md2.vsnl.net.n

बेथल फाऊण्डेशन (बेथल गर्ल्स टाउन / बेथल बॉयज बेथल फाऊण्डेशन), पी.ओ. बॉक्स 1873, अशोक रोड, कल्लूर, कोचीन–682017 फोनः 91–0484–2345614 / 2314389

फाऊन्डलिंग होम (शिशु भवन) पोस्ट ऑफिस पादूपुरम, वाया कारूकुट्टी, जिला इरनाकुलम, केरल–451540 फोनः 91–2683582

अन्तर्राष्ट्रीय बाल कल्याण सेवा, (करीन चाइल्ड केयर सेन्टर) वेल्लौर, पोस्ट ऑफिस पम्पडी, कोटायम, केरल

शिशु शेमा भवन, सेन्ट जूडस चैरीटेबल ट्रस्ट, कांजीरपल्ली, जिला कोटायम, केरल–686512 फोन : 91–0482–2802531

महाराष्ट्र

बाल आनन्द वर्ल्ड चाइल्ड वेलफेयर ट्रस्ट (इण्डिया), सेयकरूपा, 93, घाटला गांव, चैम्बूर, मुम्बई–400071 फोनः 91–022–25568395 / 25566262 फैक्सः 022–25564914 ईमेलः balanand@vsnl.net

मिशनरीज ऑफ चैरिटी, चर्च रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), मुम्बई–400020 फोनः 91–022–298200 / 292464 ईमेल : bal_asha@hotmain.com

चिल्ड्रन ऑफ दी वर्ल्ड (इण्डिया ट्रस्ट), 501, अरूण चैम्बरस, तारदेव, मुम्बई–400034 फोनः 91–022–23520249 / 56602196 ईमेल : cwb@bom5.vsnl.net

श्रद्धानन्द अनाथालय सोसाइटी, 123, श्रद्धानन्द पीठ, नागपुर–440022 फोनः 91–0712–2222959 ईमेल : shamalaa@hotmail.com

होली क्रास होम फॉर बेबीस, C/o होली क्रास कॉन्वेट, अमरावती कैम्प– 444602 फोनः91–0721–2663114 / 2663861

सोसाइटी ऑफ फैन्डस ऑफ ससून हॉस्पिटल, रूप नम्बर 87, ससून जनरल हॉस्पिटलस, पूणे–411001 फोन : 91–012–26124660 फैक्स : 26128219

सेन्ट कैथरीनस होम, वीरा देसाई रोड, अंधेरी पश्चिम मुम्बई–400058 फोन : 91–022–26762312, 26766906 ईमेलः stcath@mtnl.net.in

द हिन्दू वुमैनस सोसाइटी, श्रद्धानन्द महिला आश्रम, श्रद्धानन्द रोड, किंग्स सर्कल, मटूंगा, मुम्बई–400019
फोन : 91–022–24012552 / 24010715,
फैक्स : 24017859

भारतीय समाज सेवा केन्द्र, नम्बर 5 कोरे गांव रोड, पुणे–411001 फोन : 91–012–26128002
फैक्स : 26125716
ईमेल : bssk@wmi.co.in

शेझर छाया, देवदल कामन पी.ओ., तालुका वसई, थाने, महाराष्ट्र–402202 फोनः 91–0250–2210212 / 2352312

महाराष्ट्रा स्टेट वुमैन्स काऊंसिल, आशा सदन, आशा सदन मार्ग, उमरखेडी, मुम्बई–400009 फोन : 91–022–23715477 / 23740297
फैक्स : 91–22–23701281

बाल आशा ट्रस्ट, गरैन्ड पाराडी, आर एच. 11, अगस्त क्रांति मार्ग, मुम्बई–400020 फोन :91–022–24926426 / 22821410 / 24944090 ईमेल : adoption@vsnl.com

बाल विकास 102, शिशु भवन, वेलनटाइन कॉम्पलैक्स, जनरल अरूण कुमार विद्या मार्ग के पीछे, पिम्पलीपाडा, मलाड ईस्ट, मुम्बई – 400097 फोन :91–022–28422802
फैक्स : 28422714
ईमेल : balvikas@vsnl.net

श्री मानव सेवा संघ, 255–257, सीऑन रोड, सीऑन पश्चिम, मुम्बई –400019 फोनः91–022–24071553 / 24092266 / 252359 / 2522393
फैक्स : 24092266

मातृ सेवा संघ, फाउडलिंग होम ऐट गवर्नमेंट कॉलेज, 2 हॉस्पिटल, वार्ड नम्बर 22, नागपुर – 440001
फोन : 91–0712–2523596 / 2522393

मैसर्स महिला सेवा मंडल, कुसुमबाई मोतीचन्द महिला सेवा, ग्राम 25 / 20 कार्वे रोड, पुणे–411004 फोन : 91–020–25440490 / 25439671
ईमेल : dvtikekar@vsnl.com

मैसर्स विवेकानन्द बाल सदन, सेठ डोगा धर्मशाला, रेलवे स्टेशन के पीछे, कैमपीटी, नागपुर–441002
फोन : 91–07109–2886328

वात्सालय ट्रस्ट, सी–32, श्री विजय कुंज कॉलोनी, स्टेट बैंक के आगे, कन्जूर मार्ग ईस्ट, मुम्बई–400042 फोनः91–022–25782958 / 25604619

मैसर्स इण्डियन एसोशिऐशन प्रामोशन ऑफ ऐडोपशन एण्ड चाइल्ड वेलफेयर, 7, कामारा हास, मुगल लाइन्स, मुम्बई–400016 फोनः91–022–24307076 / 24374938

मैसर्स फेमिली सर्विस सेन्टर, यूकैरस्टिक कांग्रेस बिल्डिंग–3, 5, कौन्वेट स्ट्रीट, मुम्बई – 400039 फोनः91–022–22021432 / 2282886 / 23802909 फैक्स : 24960032

मैसर्स बाल विकास महिला मंडल, सामभाजी नगर, खदगांव रोड, लातूर

मैसर्स रेणुका महाजन ट्रस्ट, पॉल्ट नम्बर 38, सुर नम्बर 67 विद्या नगर तिगरेननगर, पुणे – 411032 फोन : 91–020–32662982 / 32528187

मैसर्स कौन्वेट ऑफ सैन्ट मेरी, सी. एस. टी. जॉनस होम फोर वुमैन एण्ड चिल्ड्रन 5, गुवर पेठ, पुणे – 411042

ओड़िसा

मनोज मंजरी शिशु भवन, पी. ओ. किओनझरगढ़, डिस्ट्रिक किओनझर, ओड़िसा–758001 फोन : 91–06766–255576 फैक्स : 253389

बासुन्दरा, बासुन्दरा नगर, अभिनाबा, बीदानासी, कटक – 753014 फोन : 91–0671–2603178 / 2604892

सुभद्रा महताब सदन, पी.ओ. उदयगिरि, जिला फूलबनी, ओड़िसा – 762100 फोन : 91–0674–2560729 फैक्स : 0674–2560074

पाँडिचेरी

द इमाकुलेट हार्ट ऑफ मेरीज कौन्वेट सोसाइटी, नम्बर 3, जॉय होम, ऐरीयानकुपोन, पाँडिचेरी–605001 फोनः 91–0413–2358794 / 2601134

चिल्ड्रन होम, (क्लूनी शिशु ईलम), पोयुपोनलर सेन्ट जोसफ, नम्बर 8, रोमेन रोनाल्ड स्ट्रीट, पाँडिचेरी–605001 फोनः 91–0413–2334813

तमिलनाडु

गिल्ड ऑफ सर्विस (सैन्ट्रल), 28, कासा मेजर रोड, एगमोर, चैन्नई – 600008 फोनः 91–044–28268565 / 26201849 / 28194899 / 28195126 / 28195127 फैक्स : 2827439
ईमेल : mssw@satyam.net.in

ग्रेस कैनिट फाऊण्डेशन, मजहलाई तिलम, 34, कैनिट रोड, मदुराय – 625010
फोनः 91–0452–2601767

कर्ण प्रयोग ट्रस्ट वेलफेयर सेन्टर फॉर वुमैन एण्ड चिल्ड्रन, नम्बर 7, राजा कृष्णा राव रोड, अलवरपैट, चेन्नई–600007 फोनः 91–044–24355182

कोनकोर्ड हास ऑफ जिसस्, सी–23 अन्ना नगर ईस्ट, चिन्नई–600102 फोन : 91–044–26202498

कोनग्रिगेशन ऑफ दी सिस्टर्स ऑफ दी क्रॉस ऑफ चावानोन्ड, पी.ओ. बॉक्स 395, ओल्ड गुडस शेड रोड, तिरूचिरापल्ली–620002
फोन : 91–0431–2700923 / 2432372
फैक्स नम्बर : 701514

फैमलीज फोर चिल्ड्रन 'सन शाइन हाऊस', 98 मैतूर मेन रोड, पोडामूर, कोयमबटूर–641023 फोनः91–0422–2413235 / 2413433
फैक्स नम्बरः 0422–2413397
ईमेल : ffcindia@eth.net

इमानेल गोस्पेल मिशन फैमिली फोर ऑरफन, 47 जी, शान्ति नगर, मैटूपलयायम, कोयमबटूर–641301

मलेशियन सोशल सर्विस, एच.ओ. नम्बर 6, सेनगुनथार, शिनॉय नगर, चैन्नई–600030 फोनः 26272946
फैक्स : 26213371
ईमेल : malaysain@eth.net

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, मोती महल, राणा प्रताप

मार्ग, लखनऊ–226001 फोन : 91–0522–2227438 फैक्स : 0522 – 2271713

पश्चिम बंगाल

मिश्नरीज ऑफ चैरिटी (निर्मला शिशु भवन) 78, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता–700014 फोन : 91–033 – 22160638 / 22175267

इण्डियन सोसाइटी फॉर स्पोन्सरशिप एण्ड एडोपशन, 1, पैलेश कोर्ट, 1 काइड रोड, कोलकाता700016 फोनः 91–033–22170341
फैक्स : 91–33–24795431

सोसाइटी फॉर इण्डियन चिल्ड्रनस वेलफेयर नम्बर 22, कर्नल बिसवास रोड, बैकबागन, कोलकाता–700019 फोनः 91–229–22903121 / 30587177
ईमेल : sicwind@cal.vsnl.net.in

इन्टरनेशनल मिशन ऑफ होप (इण्डिया) सोसाइटी, 2, निमक महल रोड, कोलकाता–700043 फोन : 91 –033–24392519 फैक्सः24392469

इण्डियन सोसाइटी फॉर रीहैबलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन मैत्री स्नेह यूनिट, 98, लेक व्यू रोड, कोलकाता–700029 फोन : 91–033 –24649640 फैक्स : 4637563

स्वयंसेवी सहयोगी संस्थान

वोलनटेरी ऐडोपशन कोऑरडिनेटिग एसोसिएशन, 5–9–30 / 7 सी. जैड, थर्ड फ्लोर, मोर, चैम्बरर्स प्रशान्ति कोमरशल काम्पलैक्स, बाशीर बाग, हैदराबाद–500029 (आन्ध्र प्रदेश) फोन : 040–23232751

सैन्ट्रल वोलनटेरी ऐडोपशन एजेंसी (CVARA), C/o दिल्ली काऊंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, कुदसिया गार्डन, यमुना मार्ग, सिविल लाईंस, दिल्ली–110054 फोन : 22922086

वोलनटेरी कोओर्डिनेटिंग एजेंसी (गुजरात), C/o रचनात्मक अभिगम, ट्रस्ट, हार्दिक प्रेरणा पार्क सोसाइटी, एल.जी. हॉस्पिटल के पीछे, मनीनगर, अहमदाबाद–380008 फोनः 25500309

वोलनटेरी कोओर्डिनेटिंग एजेंसी (कर्नाटक), आई.वी.सी. कम्युनिटी सैन्टर फॉर चिल्ड्रन, 1 क्रास, 2 ब्लाक, आर.टी. नगर, बैंगलोर – 560032 फोन : 23331847

वोलनटेरी कोओर्डिनेटिंग एजेंसी (केरल), C/o राजागिरि कॉलेज ऑफ सोशल साईसिस, पी.ओ. राजागिरि, कालामसैरी, केरल–683104
फोन : 2540927, 2555564

वोलनटेरी कोओर्डिनेटिंग एजेंसी (नागपुर), विर्धबा रिजन, 165, धर्म पेठ एक्सटैंशन, शिवाजी नगर, नागपुर–440019 (महाराष्ट्र) फोन : 2534701, 2520049, 2531250

वोलनटेरी कोओर्डिनेटिंग एजेंसी, शाहने कन्सलटैन्ट प्राइवेट लिमिटेड 117/5ए, गणेश खिड रोड, शिवाजी नगर, पुणे–411016, महाराष्ट्र फोन : 25655978/25656144

वोलनटेरी कोओर्डिनेटिंग एजेंसी (महाराष्ट्र), C/o शिशुधार फॉर दा चाइल्ड, आनन्द नगर पार्क, फ्लैट नम्बर 27 और 28, पॉड रोड, कोथरूड, पुणे–411029 महाराष्ट्र
फोन : 2334388

वोलनटेरी कोओर्डिनेटिंग एजेंसी, श्रद्धानन्द महिला आश्रम, श्रद्धानन्द रोड, किंग्स सर्कल, माटुंगा सर्कल, माटुंगा महाराष्ट्र, फोन : 24012552/24010715

संजोग
वोलनटेरी कोओर्डिनेटिंग एजेंसी, जीवनरंगे भवन, स्ओनी, हैदराबाद, कटक–753002, ओड़िसा फोन : 2603579

वोलनटेरी कोओर्डिनेटिंग एजेंसी (तमिलनाडू) C/o इण्डियन काऊंसिल फॉर चाइल्ड ऐडोपशन, नम्बर 5, 3 मेन रोड पश्चिम, शिनॉय नगर, चैन्नई – 600030
फोन : 26212550

बिहार वोलनटेरी कोओर्डिनेटिंग एजेंसी, C/o ईस्ट एण्ड वेस्ट ऐजुकेशनल सोसाइटी, आरोग्य मंदिर कैम्पस, आर.के. एवेन्यू, नाला रोड, पटना – 80004
फोन : 0612 – 2671720

अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्न पते पर सम्पर्क करें :–

सैन्ट्रल ऐडोपशन रिसोर्स अथोरिटी,
वेस्ट ब्लॉक 8, विंग 2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली– 110066
फोन : 26105346, 261099193, 26180194, 26180196
फैक्स नम्बर : 26180198
ईमेल : cara@bol.net.in
वेब साईट : www.adoptionindin.nic.in

प्रकाशक

'न्याय सदन'

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397

ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com

वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in

स्त्रोत : नई दिल्ली